

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-11052022-235705
SG-DL-E-11052022-235705असाधारण
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 273]	दिल्ली, मंगलवार, मई 10, 2022/वैशाख 20, 1944	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 61
No. 273]	DELHI, TUESDAY, MAY 10, 2022/VAISAKHA 20, 1944	[N. C. T. D. No. 61

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

नागरिक सुरक्षा निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 10 मई, 2022

सं. फा. 6(4)/आरआर/सीडी/2018/883.—दिनांक 10/05/2022 गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई 1959 की अधिसूचना जी.एस.आर. 840 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 23.07.2009 के पत्र सं. 1/50/08/एचजी/3980 द्वारा नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षक निदेशालय के द्विभाजन के दौरान नागरिक सुरक्षा निदेशालय के लिए आवंटित दो पदों के संबंध में दिनांक 29 मई 1975 की अधिसूचना द्वारा वरिष्ठ अनुदेशक/निरीक्षण अधिकारी / कम्पनी कमाण्डर के पद हेतु भर्ती नियमों के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या किए जाने के लिए हटाई गई बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा नागरिक सुरक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में वरिष्ठ अनुदेशक/निरीक्षण अधिकारी/कम्पनी कमाण्डर के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं ।

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ :-

(क) इन नियमों को नागरिक सुरक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में वरिष्ठ प्रशिक्षक / निरीक्षण अधिकारी / कम्पनी कमाण्डर भर्ती नियमावली, 2021 कहा जाये।

(ख) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. अनुप्रयोग — ये नियम इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 1 में निर्दिष्ट पदों के लिए लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर** :—उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा उसके साथ संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. **भर्ती पद्धति, आयु—सीमा, अन्य योग्यताएं इत्यादि** :—उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु—सीमा, योग्यताएं तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम सं. (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
5. **अयोग्यता** :— कोई भी व्यक्ति
(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से, विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है; या
(ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह या विवाह का अनुबंध किया है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :
- शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्तियों और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार है/हैं, तो किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।
6. **छूट प्रदान करने की शक्ति** :—जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।
7. **बचाव** :— इन नियमों में कोई भी बात इस संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा समय—समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य विशेष व्यक्तियों के वर्गों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु—सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

“अनुसूची”

1.	पदनाम	वरिष्ठ प्रशिक्षक / निरीक्षण अधिकारी / कम्पनी कमाण्डर
2.	पदों की संख्या	14* (2021) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवा , अलिपिकीय, अराजपत्रित, समूह “ख”
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	वेतन मैट्रिक्स में स्तर — 6 (35400— 112400 /—रुपये)
5.	क्या चयन पद है या गैर चयन पद	चयन पद
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु—सीमा	30 वर्ष से अधिक नहीं । (केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये 5 वर्ष तक शिथिलनीय) टीप : आयु—सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तिथि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के विज्ञापन के अनुसार होगी।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	अनिवार्य योग्यता : 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से डिग्री । 2. (क) एनडीआरएफ एकेडमी नागपुर द्वारा आयोजित नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षक पाठ्यक्रम तथा सहायक अग्निशमन सेवा पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण अथवा (ख) सेना या अर्द्धसेना या पुलिस या गृह रक्षक या नागरिक सुरक्षा संगठन से निम्नलिखित में से किन्ही चार विषयों में न्यूनतम तीन सप्ताह का पाठ्यक्रम/ प्रशिक्षण पूर्ण किया हो :— (i) अग्निशमन (ii) प्राथमिक उपचार (iii) बचाव (iv) संचार

		(v) पीटी (vi) ड्रिल (vii) आर्म्स ड्रिल (viii) आपदा प्रबंधन टीप-1 अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में लिखित में कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए योग्यताएं सक्षम प्राधिकारी/दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के विवेक पर शिथिलनीय है। टीप-2 यदि चयन की किसी अवस्था में सक्षम प्राधिकारी/दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के अभिमत से अनुसूचित जातियों या जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यताएं सक्षम प्राधिकारी/दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के विवेक पर शिथिलनीय है। अनुभव : गृह रक्षक /पुलिस /सेना /अर्द्धसेना या नागरिक सुरक्षा संगठन या सरकारी अग्निशमन सेवा संगठन में चार वर्ष का अनुभव ।
8.	क्या सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित आयु एवं शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में भी लागू होगी।	आयु : नहीं शैक्षिक योग्यता : नहीं
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	दो वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदान्ति या प्रतिनियुक्ति या विलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	सीधी भर्ती द्वारा : 33 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा अल्पकालिक संविदा सहित : 67 प्रतिशत
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन किया जाना है	पदोन्नति : नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में 06 वर्ष की सेवा वाले वेतन मैट्रिक्स के स्तर -5 (29200 - 92300/-रुपये) में तथा विभाग द्वारा यथानिर्धारित संबंधित क्षेत्र में दो - चार सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले प्रशिक्षक नागरिक सुरक्षा/तकनीकी सहायक । टीप: 1- जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है और वे पदोन्नति के लिए विचारणीय हैं, उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से न्यून या दो वर्ष से कम न हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परीवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने (कनिष्ठ अधिकारी) उतनी अर्हक/पात्रता पहले ही पूरी कर ली है। टीप 2 - संबंधित ग्रेड /पद में निर्धारित अर्हक सेवा के अधिकारियों द्वारा पूर्ण की तिथि के संदर्भ सहित पदोन्नति के लिए पात्रता सूची तैयार की जाएगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधिकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सांविधिक या स्वायत्त

		निकाय/मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान; क. (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा (ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर -5 (29200-92300/- रुपये) में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में छः वर्ष की नियमित सेवा सहित अथवा मूल संवर्ग या विभाग में समकक्ष; अथवा (iii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर -4 (25500-81100/- रुपये) में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में दस वर्ष की नियमित सेवा सहित अथवा मूल संवर्ग या विभाग में समकक्ष; तथा (ख) कॉलम 7 के अन्तर्ग सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताएँ एवं अनुभव रखने वाले। टीप 3 : भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी श्रृंखला में हैं वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। टीप 4: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि भी सम्मिलित है। यह सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होंगी।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	पदोन्नति पर विचारार्थ विभागीय पदोन्नति समिति : 1. निदेशक, नागरिक सुरक्षा रा0रा0क्षे0दि0स0 - अध्यक्ष 2. वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (नागरिक सुरक्षा), निदेशालय नागरिक सुरक्षा, रा0रा0क्षे0दि0स0 - सदस्य 3. कनिष्ठ स्टाफ अधिकारी (नागरिक सुरक्षा), निदेशालय नागरिक सुरक्षा, रा0रा0क्षे0दि0स0 - सदस्य स्थाईकरण पर विचारार्थ विभागीय स्थाईकरण समिति : 1. निदेशक, नागरिक सुरक्षा, रा0रा0क्षे0दि0स0 - अध्यक्ष 2. वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (नागरिक सुरक्षा), निदेशालय नागरिक सुरक्षा, रा0रा0क्षे0दि0स0 - सदस्य 3. कनिष्ठ स्टाफ अधिकारी (नागरिक सुरक्षा), निदेशालय नागरिक सुरक्षा, रा0रा0क्षे0दि0स0 - सदस्य
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
राहुल सुदन, वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (सीडी)

DIRECTORATE OF CIVIL DEFENCE NOTIFICATION

Delhi, the 10th May, 2022

F. No. 6(4)/RR/CD/2018-883.—dated 10.05.2022 In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India read with Govt. Of India, Ministry of Home Affairs notifications GSR-840 dated 13th July, 1959 and in supersession of the Recruitment Rules for the post of Senior Instructor/ Inspecting Officer/ Company Commander vide Notification dated 29th May, 1975, in respect of the 2 posts allocated to Directorate of Civil Defence during the bifurcation of Directorate of Civil Defence and Home Guards, Delhi vide letter No.1/50/08/HG/3980, dated 23.07.2009, except as respective things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, is pleased to make the following rules regulating the method of Recruitment for the post of Senior Instructor/ Inspecting Officer/ Company Commander in the Directorate of Civil Defence, Government of National Capital Territory of Delhi.

1. Short title and commencement –

- (i) These rules may be called the Senior Instructor/ Inspecting Officer/ Company Commander Recruitment Rules, 2021 in the Directorate of Civil Defence, Government of NCT of Delhi.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Application: These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and level in pay matrix:- The number of said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be specified (2) to (4) of the Schedule.

4. Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc. – The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualification – No person;-

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post;

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing so, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to Relax – Where the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reason to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government of National Capital Territory of Delhi from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Post	Classification	Level in Pay Matrix	Whether Selection Post or non-selection post	Age Limit for direct recruits	Educational and Other Qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Senior Instructor/ Inspecting	14* (2021) *Subject	General Central Service Non-ministerial	Level-6 (Rs.3540 0-	Selection post	Not exceeding 30 years (Relaxable for	<u>Essential Qualification:-</u> 1. Degree from a Recognized

Officer/ Company Commander	to variation dependent on work load	Non- Gazetted Group, B	112400) In the pay matrix.		government servants up to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by Central Government. Note: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the DSSSB.	University / Institute. 1. (a) Pass in Civil Defence Instructor Course and Auxiliary Fire Fighting Course conducted by NDRF Academy Nagpur Or (b) A minimum three weeks Course/Training Completed in any four of the following subjects from Military or Paramilitary or Police or Home Guards or Civil Defence organization:- (i)Fire Fighting (ii)First Aid (iii)Rescue (iv)Communication (v)PT (vi)Drill (vii)Arms Drill (viii)Disaster Management Note- 1: Qualifications are relaxable at the discretion of Competent Authority/DSSSB, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note-2: The Qualification(s) regarding experience is/are relaxable at discretion of competent Authority/DSSSB, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Competent
----------------------------------	---	---------------------------	-------------------------------------	--	--	--

						Authority/DSSSB is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. Experience:- Four years experience in Home Guards/Police/Military/Paramilitary or Civil Defence Organization or Government fire fighting organization.
--	--	--	--	--	--	--

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of Probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by the methods	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption. Grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made
8	9	10	11
Age: NO Educational: Qualification: NO	Two Years	By Direct Recruitment: 33% By Promotion failing which by Deputation including Short Term Contract 67 %	Promotion: Instructor Civil Defene/Technical Assistant in Level-5 (Rs. 29,200/-- 92300/-) of the pay matrix having 06 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis and having successfully completed two-four weeks mandatory training in the relevant field as prescribed by the department. Note-1: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service, or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. Note 2: The eligibility list for promotion shall be prepared with

			reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective grade/post. Deputation (ISTC): Officers from Central Government/State Government/Union Territory Administrations/ Public sector undertakings/ Statutory or Autonomous Bodies/Recognized Universities/ Recognized Research Institutes: (a) (i) Holding analogous post in the parent cadre or department on regular basis; or (ii) with six years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level-5 (Rs.29200/--92300/-) of Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or department; or (iii)with ten years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level-4 (Rs.25500-81100/-) of the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) Possessing the educational qualification and experience prescribed for direct recruitment under column no.7 Note-3: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note- 4: The period of deputation (ISTC) including the period of deputation (ISTC) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The Maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the last date of receipt of applications.
--	--	--	--

If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
12	13
<u>DPC for considering promotion.</u> 1. Director Civil Defence, Govt. of NCT of Delhi : Chairperson 2. Senior Staff Officer (Civil Defence) Directorate of Civil Defence, Govt. of NCT of Delhi : Member Junior Staff Officer (Civil Defence) Directorate of Civil Defence, Govt. of NCT of Delhi : Member <u>DCC for confirming promotion.</u> 1. Director Civil Defence, GNCT of Delhi : Chairperson 2. Senior Staff Officer (Civil Defence) Directorate of Civil Defence, Govt. of NCT of Delhi : Member 3. Junior Staff Officer (Civil Defence) Directorate of Civil Defence, Govt. of NCT of Delhi : Member	Consultation with the UPSC is not necessary.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
RAHUL SUDAN, Senior Staff Officer (CD)